2022/380

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अजलास अदालत– .... सहायक कलक्टर .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थी :– नाथूराम पुत्र मोडूराम जाति मेघवाल निवासी बकवास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राजस्थान वगैराह।

केस्स मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या. 139 सन्–.....2022..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
15.06.2022	प्रार्थी नाथूराम पुत्र मोडूराम जाति मेघवाल निवासी बकवास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राजस्थान वगैराह का पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाके सरहद बकवास के खसरा सं0 32, 430/32 व 451/32 में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 के नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनाँक 10.08.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर) 10/8/22 पत्रावली पेश हुई। ... अन्य कार्य। ... र पधारे हैं, ... दिनांक 17/8/22 ...	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:03:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

17/8/22

वकील प्रार्थी उपस्थित।
दमी उनवान ना एक का निर्णय हो चुका है।
वाद निर्णित होने से इस प्रार्थना पत्र
का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।
अत: प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
पत्रावली नियमानुसार होकर दाखिल
दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:03:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner